

राजस्थान सरकार  
सैनिक कल्याण विभाग

क्रमांक प.6(2)सै.क./2010

जयपुर, दिनांक : 08.02.2019

--:: आदेश ::--

द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं को, जिन्हें किसी भी स्त्रोत से पेंशन अथवा सहायता नहीं मिल रही है, को वर्तमान देय पेंशन राशि में 4 हजार रुपये प्रतिमाह को बढ़ाकर राशि 10 हजार रुपये प्रतिमाह करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त व्यय विभागीय बजट मद 2235-60-200-(01)-{05} (रा.नि.) के उप मद 24-पेंशन एव उत्पादन में प्रावधित राशि से प्रभार्य होगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई. डी. संख्या 161900047 दिनांक 08.02.2019 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

६०

(हेमन दास रामचन्दानी)  
शासन वरिष्ठ उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
3. निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

६०

(नरेन्द्र कुमार कोली)  
अनुभागाधिकारी